भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2023
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्नातक डिग्रीधारक को जन औषधि केन्द्रों का आवंटन

2023. श्री दिनेश चंद्र यादवः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जन औषधि केन्द्र स्नातक डिग्रीधारकों को आवंटित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फार्मेसी में डिप्लोमा की अनिवार्य अर्हता के कारण अनेक बेरोजगार युवा जन औषधि केन्द्र का संचालन करने से वंचित रह जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बेरोजगार स्नातक डिग्रीधारक व्यक्तियों को जन औषधि केंद्र आवंटित करने हेतु नियमों में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अन्तर्गत, कोई भी व्यक्ति जिसके पास स्वयं डी. फार्मा/बी. फार्मा की डिग्री है अथवा कोई व्यक्ति/संगठन जिसने संबंधित राज्य सरकार से औषधि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डी.फार्मा/बी.फार्मा डिग्री धारक को फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त किया है, जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने के लिए पात्र हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 12 के तहत भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-I और भाग-II) में उत्तीर्ण होना और फार्मेसी में डिप्लोमा (भाग-III) का संतोषजनक समापन होना आवश्यक है।

जन औषधि केंद्र आवंटित करने के लिए नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****